8

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन में मीडिया का प्रयोग

पारस यादव*

मीडिया ने जनसंचार को एक नया आयाम दिया है। लेखक द्वारा माता-पिता और शिक्षकों से बातचीत पर यह पाया गया कि आर.टी.ई. अधिनियम के विषय में माता-पिता, अर्थात् सामान्य रूप से जनता को बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है। मीडिया का प्रयोग करके लोगों को आर.टी.ई. के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसलिए इस दिशा में सभी उपलब्ध मीडिया का उपयोग करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना

दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान संचार कहलाता है। लेकिन जब हम किसी दृश्य या श्रव्य माध्यम के ज़रिए समाज के बड़े हिस्से तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। वैश्विक होती दुनिया में जनसंचार हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है।

वर्तमान में मीडिया ने जनसंचार को एक नया आयाम दिया है। इसके कारण तेज़ी के साथ सूचनाओं और विचारों का प्रसार संभव हो गया है। किसी भी विचार, वीडियो या तस्वीर को लाखों लोगों तक पहुँचाने की क्षमता मीडिया में है। लोगों तक पहुँच ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी ताकत ने वॅर्चुअल दुनिया में लोगों के लिए मीडिया के इस्तेमाल को अनिवार्य-सा बना दिया है। हम कह सकते हैं कि मीडिया ने सूचना के क्षेत्र में लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया है। इससे एक सामान्य व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मंच मिला। उसे बिना किसी दबाव और किसी के प्रभाव में आए अपनी बात रखने का मौका मिला है।

जनसंचार माध्यमों का प्रमुख काम सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना, मनोरंजन करना, सरकार और संस्थाओं के कामकाज की निगरानी रखना और विचार का मंच प्रदान करना है। लेकिन डिजिटल क्रांति के युग में जनसंचार के स्थापित कामों का दायरा टूट

* *शिक्षार्थी,* (बी.ए. प्रथम वर्ष) पत्रकारिता और जनसंचार, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश

रहा है। ट्विटर, फ़ेसबुक, ब्लॉग, वाट्स ऐप के दौर में सूचना, जागरुकता और मनोरंजन के वैकल्पिक माध्यम लोगों के सामने खुले हैं। ट्विटर के ट्रेंड की चर्चा हो या फ़ेसबुक के ट्रेंड की, हैशटैग पर सभी लोगों की नज़रें होती हैं कि आज दुनिया में किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है।

वक्त के साथ न सिर्फ़ जनसंचार माध्यमों का विकास हुआ, बल्कि तमाम नए माध्यम भी इसमें जुड़ते गए हैं। प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में अब तेज़ी से विकास हो रहा है। विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। पुराने और स्थापित समाचार पत्रों के साथ ही स्थानीय स्तर पर भी कई समाचार पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। टी.वी., अब केवल समाचार और मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। तमाम देशी और विदेशी चैनल आ गए हैं जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार रेडियो भी अब केवल सरकारी नहीं रह गया है। तमाम बड़ी कंपनियों के एफ़एम चैनल लोगों तक हर पल की जानकारी पहुँचा रहे हैं।

यह तो केवल पारंपरिक माध्यमों की बात हुई। इनके अलावा अब साइबर संसार भी इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। तमाम स्थापित मीडिया समूह डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ रहे हैं। युवा वर्ग पर इन सभी जनसंचार माध्यमों ने अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा है। टी.वी., श्रव्य के साथ ही दृश्य माध्यम भी है, जिसके कारण कोई किसी भी विषय को भली-भाँति समझ सकता है। मोबाइल और इंटरनेट अत्याधुनिक तकनीकों के उदाहरण हैं। 'मोबाइल' यह एक ऐसा माध्यम है जिससे दूर बैठे व्यक्ति के साथ बात की जा सकती है तथा अपने अच्छे अनुभवों को चलचित्रों के रूप में कैद किया जा सकता है। इसी प्रकार इंटरनेट जनसंचार माध्यमों में सबसे प्रभावशाली है जिसने दूरियों को कम कर दिया है। इसका अधिकतर उपभोग युवा वर्ग द्वारा किया जाता है। ये ज्ञानवर्धन में सहायक है साथ ही इससे मनोरंजन भी होता है।

भाषा के बिना जनसंचार का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, चाहे माध्यम कुछ भी हो। इसीलिए जनसंचार के सभी संसाधनों के लिए हर युग में किसी न किसी भाषा का उपयोग अनिवार्य रूप से होता आया है। भाषा ने जनसंचार के कार्य को सुगम बनाया है, आकर्षण प्रदान किया है और विस्तार भी दिया है।

मीडिया की लोकप्रियता को देखते हुए आज नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। आज का मीडिया जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार (मीडिया) की भूमिका

पिछले कुछ दशकों से प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। भारत एक सफल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से सज्जित राष्ट्र होने के नाते सदैव सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अत्यधिक बल देता रहा है, न केवल अच्छे शासन के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों; जैसे— स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा आदि के लिए भी।

शिक्षा नि:संदेह एक देश की मानव पूँजी के निर्माण में किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेशों

में से एक है। यह एक ऐसा माध्यम है जो न केवल अच्छे साक्षर नागरिकों को गढ़ता है, बल्कि एक राष्ट्र को तकनीकी रूप से नवाचारी भी बनाता है और इस प्रकार आर्थिक वृद्धि की दिशा में मार्ग प्रशस्त होता है। भारत में ऐसे अनेक कार्यक्रम और योजनाएँ हैं, जैसे — नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान आदि जो शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए हैं।

हाल के वर्षों में इस बात में काफ़ी रुचि रही है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से विद्यार्थी अब ई-पुस्तकें, परीक्षा के नमूने वाले प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आदि देखने के साथ-साथ मेंटर्स, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और साथियों से दुनिया के किसी भी कोने पर आसानी से संपर्क कर सकते हैं।

किसी भी समय, कहीं भी, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सर्वाधिक अनोखी विशेषता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने अधिगम्यता को आसान बनाया है। अब विद्यार्थी सुविधानुसार ऑनलाइन अध्ययन पाठ्यसामग्री पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी एक निश्चित स्थान पर ही उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है।

जब से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को एक शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग किया गया है, इसने एक त्रुटिहीन प्रेरक साधन के रूप में कार्य किया है। इसमें विडियो, टेलिविज़न, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर आदि का उपयोग शामिल है। इससे विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में गहराई से जुड़ते हैं।

विद्यार्थी और शिक्षक अब सभी विषयों की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें बाज़ार में नवीनतम अंक की उपलब्धता के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती या पुस्तक खो जाने पर नई पुस्तक खरीदने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। एन.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट या ई – पाठशाला मोबाइल ऐप पर जाकर देखें तो पाएँगे कि अब e-content की बात हो रही है, यानि ऑडियो, वीडियो, पावरप्वांइट इत्यादि से पाठ्यवस्तु को सरल भाषा में प्रस्तुत करना। यह बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी माना जा रहा है। nroer.gov.in website में लॉगइन करके आप ई-रिसोरसेज़ को देख व सुन सकते हैं।

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009

शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के छह दशक बाद बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ है। यह कानून 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया। इसे नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 नाम दिया गया है। इसे 'राइट-टू-एजुकेशन एक्ट' भी कहा जाता है।

इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नज़दीकी विद्यालय में नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। यह माना जाता है कि

भारत नौजवानों का देश है, बच्चों और नौजवानों को उनकी शिक्षा और उनके विशिष्ट गुणों का परिमार्जन करके देश को खुशहाल और शक्तिशाली बनाया जा सकता है।

शिक्षा के अधिकार के साथ बच्चों एवं युवाओं का विकास होता है तथा राष्ट्र शक्तिशाली एवं समृद्ध बनता है। यह उत्तरदायी एवं सक्रिय नागरिक बनाने में भी सहायक है। इसमें देश के सभी लोगों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का भी सहयोग आवश्यक है।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को न तो स्कूल-फ़ीस देनी होती है और न ही यूनिफ़ॉर्म और किताबें या मिड-डे मील जैसी चीज़ों पर खर्च करना होता है। बच्चों को न तो अगली क्लास में पहुँचने से रोका जाता है और न ही स्कूल से निकाला जाता है।

इस कानून के तहत कोई स्कूल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता। विद्यालय में प्रत्येक 60 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम दो प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए। जिन स्कूलों में संसाधन नहीं हैं, उन्हें तीन साल के अंदर सुधार लाने के लिए कहा गया था। साथ ही तीन किलोमीटर के क्षेत्र में एक विद्यालय की व्यवस्था हो यह प्रावधान भी है।

शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्ज़ा देने के साथ ही इसे मूल कर्त्तव्यों में शामिल कर इसे अभिभावकों का कर्त्तव्य बनाया गया है। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार, बच्चों के माता-पिता या संरक्षक सभी का दायित्व तय किया गया है तथा उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है।

तात्कालिक तौर पर सरकार का यह अधिनियम भारतीय राष्ट्र एवं समाज को एक विकसित एवं शिक्षित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास जान पड़ता है।

सरकार द्वारा जनहित में जारी आर.टी.ई. के लागू किए जाने के उपरांत भी लोगों तक इसकी पहुँच नहीं बन पा रही है।

यह पता लगाने के लिए कि क्या जनता को नि:शुल्क और अनिवार्य अधिनियम –2009 में प्राप्त सुविधाओं और प्रावधानों के बारे में जानकारी है अथवा नहीं? लेखक ने कैमरे का उपयोग करके एक छोटा-सा साक्षात्कार दक्षिण दिल्ली (मुनिरका) में पुल के नीचे रह रहे परिवारों के साथ किया। साथ ही लेखक ने मुनिरका के पास के तीन सरकारी स्कूलों का दौरा किया और विद्यालयों में पढ़ा रहे कुछ शिक्षकों से आर.टी.ई. के बारे में बातचीत की। बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया गया।

विश्लेषण पश्चात् परिणाम

परिवार से बातचीत करने पर यह पाया गया कि ज़्यादातर माता-पिता को यह मालूम था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। कुछ को पता था कि यह व्यवस्था बिलकुल नि:शुल्क है, पर यह पता नहीं था कि बच्चों को किताबें, यूनिफ़ॉर्म, जूते, बैग, इत्यादि स्कूल की तरफ़ से नि:शुल्क मिलेंगे। जब बताया गया तो माता-पिता कहने लगे कि यह कहा जाता है कि ये नि:शुल्क मिलेंगी पर मिलती तो हैं नहीं। बातचीत के दौरान यह पाया गया कि माता-पिता को यह मालूम नहीं था कि बच्चे को स्कूल में दाखिला न दिलाने की वजह से उन्हें सज़ा भी हो सकती है।

अभिभावकों को पूरी जानकारी नहीं थी कि विद्यालय में प्रवेश के लिए क्या करना होगा, कौन-कौन से प्रपत्र चाहिए। माता-पिता में विद्यालय जाकर पता लगाने और प्राचार्य से बात करने की झिझक पायी गई। साथ ही उन्हें हैरानी हुई यह जान कर कि अगर अभी तक स्कूल में प्रवेश नहीं हुआ है तो अब भी हो सकता है। उन्हें यह जानकारी भी नहीं थी कि बच्चे का दाखिला कभी भी और आयु के अनुकूल उपयुक्त कक्षा में हो सकता है। किसी को यह भी नहीं पता था कि वे विद्यार्थी जो पहले कभी विद्यालय न गए हों या जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर उनकी आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला दिलाने के लिए यानि उनकी आयु वाली कक्षा के लिए तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का प्रावधान भी है।

यह पूछने पर कि आप क्या चाहते हैं? आप के बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? अधिकांशत: माता-पिता और बच्चों द्वारा कहा गया कि शिक्षण गतिविधि उन्मुख होनी चाहिए और विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दिया जाना चाहिए।

विद्यालयों में मुख्य अध्यापक और शिक्षकों से बातचीत करने पर पता चला कि मुख्य अध्यापकों और कुछ शिक्षकों को आर.टी.ई. के प्रावधानों की जानकारी तो थी पर बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं पायी गई। यह पूछने पर कि विद्यालय में बच्चों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? और इतनी सुविधाएँ होते हुए भी बच्चे नियमित रूप से विद्यालय क्यों नहीं आते? अध्यापकों का कहना था कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश विद्यार्थी निम्न आर्थिक समूह से आते हैं, कई बार उनके लिए स्कूल में समायोजन करना भी मुश्किल होता है। कई बार वे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इन बच्चों के लिए पहली कक्षा से पहले, स्कूल की तैयारी हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उन्हें अक्षर बोध हो सके, उनके शब्द भंडार में वृद्धि हो सके, जो उन्हें पढ़ने और लिखने में मदद कर सकती है और साथ ही उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पढ़ाई बीच में छोड़ने की संभावना कम हो जाती है।

जैसा कि माना गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूलों के क्रियान्वयन में आवश्यक भूमिका निभाती है। प्रमुख शिक्षक और अन्य शिक्षकों ने कहा कि उनके विद्यालय में आर.टी.ई. के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति तो है पर माता-पिता, अपेक्षाओं के अनुकूल विद्यालय संचालन में मदद नहीं कर पाते। उन्हें अपनी दिनचर्या कमाने के लिए रोज़ काम पर जाना पड़ता है और फिर वे ज़्यादा पढ़े-लिखे भी नहीं हैं।

अध्यापकों को भी आर.टी.ई. के प्रावधानों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बस ये पता था कि अब बच्चों को मार नहीं सकते और बच्चों को फ़ेल भी नहीं कर सकते। उन्हें सतत एवं व्यापक मूल्यांलन की कुछ जानकारी थी पर बहुत ज़्यादा पता नहीं था।

आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

इस अधिनियम के कार्यान्वयन में गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियाँ शामिल हैं। गुणवत्ता और समावेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए विद्यालय व्यवस्था में कुछ सुधारों की भी

आवश्यकता है। ये चुनौतियाँ विद्यालय और बच्चों दोनों से संबंधित हैं।

- हर विद्यालय में बच्चों के लिए अलग-अलग शौचालय, चालू पानी की व्यवस्था, हाथ धोने की सुविधा हो तथा कक्षा में बैठने की सुविधा हो, प्रकाश, पंखे, ब्लैकबोर्ड, चाक, डस्टर, शिक्षण-सामग्री, भंडारण सुविधा, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था आदि होना बहुत महत्वपूर्ण है।
- शिक्षक और बच्चों में उचित अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए।
- उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग विषय शिक्षक होने चाहिए। शिक्षकों को नियमित रूप से पढ़ाना चाहिए और उपयुक्त शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए।
- सतत और व्यापक मूल्यांकन को ठीक से लागू करने की ज़रूरत है और पाठ्यक्रम समय पर पूरा किया जाना चाहिए। यदि बच्चा नियमित रूप से स्कूल आता है और सभी कक्षाओं में भाग लेता है तो उसे सीखना चाहिए। ऐसा क्यों है कि कई बार बच्चे वांछित परिणाम हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं?
- 'आउट ऑफ़ स्कूल' बच्चों का मुद्दा जटिल है, क्योंकि इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इसमें कभी नामांकित न होने वाले और ड्रॉप-आउट दोनों ही बच्चे शामिल हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है कि ड्रॉप-आऊट (पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थी) को कौन और कैसे गिनता है; पहचान की प्रक्रिया क्या है क्योंकि इसमें ऐसे बच्चों को भी शामिल किया जाता है जो मौसम के अनुसार अभिभावकों के साथ पलायन कर रहे होते हैं और अन्य स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं।
- कक्षा में दाखिले के लिए अधिक उम्र वाले बच्चों का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। आर.टी.ई. के अनुसार बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में दाखिला दिया जाना चाहिए। परंतु बच्चे कभी स्कूल न जाने की वजह से या पढ़ाई बीच में छोड़ने की वजह से स्कूल जाने में हिचकते हैं या ठीक से पढ़ नहीं पाते। आर.टी.ई. में 'उपयुक्त उम्र' में आयु के अनुसार कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है। उन्हें उनकी उम्र के उपयुक्त कक्षाओं के लिए तैयार किया जा सकता है। चुनौती यह है कि इसके बारे में शिक्षकों एवं अभिभावकों को स्पष्ट जानकारी नहीं है।
- राज्य कुछ काम जैसे मुफ़्त पाठ्यपुस्तकों का वितरण, गर्म मिड-डे मील बाँटना इत्यादि सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं पर बच्चों की अधिगम्यता बढ़ाना मुश्किल हो रहा है।
- आर.टी.ई. कानून के उचित कार्यान्वयन में वित्तीय संसाधन, शिक्षक नियुक्त, सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण, सामुदायिक भागीदारी आदि चुनौतियाँ भी शामिल हैं।

सुझाव

सरकार ने (6 से 14 वर्ष के) सभी बालकों को गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सही भावना में अधिनियम लागू किया और कार्यान्वित किया है। माता-पिता एवं शिक्षकों से बातचीत के परिणाम बताते हैं कि अभी तक नामांकन एवं कुछ बुनियादी ढाँचे के संदर्भ में तो कुछ प्रगति हुई है, लेकिन बच्चों के सीखने के मामले में गुणवत्ता की गारंटी के क्षेत्र में एक

लंबा रास्ता तय करना है। इसके अलावा, अध्ययन के निष्कर्षों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बहुत से माता-पिता आर.टी.ई. में प्राप्त लाभों एवं प्रावधानों से अवगत नहीं हैं। इसी तरह विद्यार्थियों को भी उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है।

अतः मीडिया का प्रयोग करके लोगों को आर.टी.ई. के बारे में जानकारी दी जा सकती है। उन्हें आर.टी.ई. में दिए गए लाभों और प्रावधानों के बारे में अवगत कराया जा सकता है; जैसे — बड़ी संख्या में बच्चों एवं अभिभावकों तक पहुँचने में मीडिया को कम समय लगता है और यह सस्ता भी है। निरक्षर लोग टी. वी., रेडियो द्वारा आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया विशेष लोगों की ज़रूरत भी है। जो लोग सुन नहीं सकते हैं वे जानकारी पढ़ और देख कर प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया लोगों को नई जानकारी के बारे में अवगत कराता है। लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए, गलत मिथकों को दूर करने के लिए, जनता को सही जानकारी या संदेश देने के लिए, बच्चे के हितों की जानकारी के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के सभी पहलुओं (मुख्यतः सुविधाओं और प्रावधानों) इत्यादि के बारे में जानकारी भेजी जा सकती है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी और मीडिया लोगों को प्रभावित करने, शामिल करने, शिक्षित करने, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, पेशेवरों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है।

आर.टी.ई. अधिनियम के उद्देश्य और प्रावधान के बारे में व्यापक जागरुकता पैदा करनी चाहिए। सभी उपलब्ध मीडिया का उपयोग करने की आवश्यकता है। जैसे — प्रिंट मीडिया (न्यूज़लेटर्स, पम्पलेट्स, पुस्तकें, आदि), मास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो, टी.वी. आदि), लोक मीडिया (नाटक, संगीत, मौखिक प्रशंसापत्र आदि), दृश्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (इंटरनेट, मोबाइल, एस.एम.एस. आदि) इत्यादि। लेख, अनुसंधानों के निष्कर्ष, विज्ञापन, पोस्टर, नारे आदि द्वारा भी लोगों को जागरुक किया जा सकता है। रेडियो और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर (एफ़एम) द्वारा आर.टी.ई. के बारे में छोटे-छोटे संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं। जागरुकता फैलाने के लिए ड्राइंग और पेंटिंग, नारा लेखन जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं। सामान्य जनता को जागरुक करने के लिए बैनर, पोस्टर, टोपियाँ, पेन, बैज, होर्डिंग्स इत्यादि बनाए जा सकते हैं। लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं।

स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता की निगरानी और बढ़ावा देने में माता-पिता, समुदाय और स्थानीय अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। इस दिशा में छोटे ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम उपयोगी हो सकते हैं। इनका उपयोग करके समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षकों को और जो प्रवेश के प्रभारी हैं या आमतौर पर एक प्रमुख अध्यापक की अनुपस्थिति में जिन्हें प्रभार दिया जाता है, उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।

पत्रकारिता और जनसंचार के विद्यार्थियों को सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में स्वयंसेवकों के रूप में शामिल किया जा सकता है।